वर्ष 46 अंक 3
31 मार्च 2016

मेवाड़ चेम्बर पत्रिका

(मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का मासिक पत्र)

उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़
राजसमन्द एवं भीलवाड़ा का सम्भागीय चेम्बर

राज्य बजट को अन्तिम रूप देते हुए माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे अपनी टीम के साथ।

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
मेवाड़ चेम्बर भवन, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा (राज.) 311 001 फोन : 01482-220908, 238948
Email : mcci@mccibhilwara.com Visit us : www.mccibhilwara.com

3 मार्च 2016 को केन्द्रीय बजट पर सेमीनार को सम्बोधित करते हुए जयपुर के सीए श्री पीसी परवाल

बजट सेमीनार में उपस्थित चेम्बर के सदस्यगण।

22 मार्च 2016 को विश्व जल दिवस पर कार्यशाला में मंचासीन अतिथिगण।

कार्यशाला में दीप प्रज्जवलन करते हुए अतिथिगण।

कार्यशाला के दौरान पौध भैंट कर वृक्षारोपण का संदेश।

MEWAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Mewar Chamber Bhawan, Nagori Garden
Bhilwara 311 001 (Raj.) ✆ 01482-220908 Fax : 01482-238948
✉ mcci@mccibhilwara.com 🌐 www.mccibhilwara.com

OFFICE BEARERS

	OFFICE	MOBILE
President Mr. Anil Mansinghka anil@shardagroup.net	01482-233800	98290-46101
Sr. Vice President Mr. Dinesh Nolakha dinesh@nitinspinners.com	01482-286111	98281-48111
Vice Presidents Mr. N. N. Jindal jindalmarblepl@gmail.com	01472-240148	94147-34834
Mr. J. K. Bagrodia jkbagrodia1@gmail.com	01482-242435	94141-10754
Mr. P. K. Jain praveen.jain@vedanta.co.in	01483-229011	99280-47578

	OFFICE	MOBILE
Hony. Secretary General Mr. S.P. Nathany mcci@mccibhilwara.com	220908, 238948	94141-12108
Hony. Joint Secretary Mr. R. K. Jain rkjainbhilwara@gmail.com	01482-225844	94141-10844
Hony. Treasurer Mr. Deepak Agarwal deepak@babacollection.com	01482-241600	98290-67400
Executive Officer Mr. M.K.Jain mcci@mccibhilwara.com	220908	94141-10807

AFFILIATION

At the International Level : International Chamber of Commerce, Paris (France)

At the National Level : Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry, (FICCI) New Delhi
Indian Council of Arbitration, New Delhi
National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), New Delhi.
Confederation of All India Traders, New Delhi

At the State Level : Rajasthan Chamber of Commerce & Industry, Jaipur.
: The Employers Association of Rajasthan, Jaipur.
: Rajasthan Textile Mills Association, Jaipur

REPRESENTATION IN NATIONAL & STATE LEVEL COMMITTEES

All India Power loom Board, Ministry of Textile, Govt. of India, New Delhi
National Coal Consumer Council, Coal India Ltd., Kolkata
State Level Tax Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur
State Level Industrial Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur
Regional Advisory Committee, Central Excise, Jaipur
Foreign Trade Advisory Committee, Public Grievance Committee, Customs, Jaipur
DRUCC/ZRUCC of North Western Railways

राजस्थान बजट 2016–17

माननीया मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने 8 मार्च 2016 को राज्य विधानसभा में राज्य का वर्ष 2016–17 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में भीलवाडा एवं मेवाड के अन्य जिलों से संबंधित विशेष बिन्दु यहा उद्धरित है।

आर्थिक आधारभूत ढाँचा

सड़क :

17. इसके अतिरिक्त 761 करोड़ रुपये की लागत से निम्न 19 अन्य RoBs एवं 2 RuBs का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया जायेगा– नेशनल हाईवे 79-II से स्वरूपगंज, जिला भीलवाड़ा एलसी नम्बर 72

मेवाड चेम्बर द्वारा पिछले 2 वर्षो से हमीरगढ ग्रोथ सेन्टर में आवागमन के लिए इस आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे एवं राज्य स्तर पर प्रयास किये जा रहे थे। इस वर्ष के रेल बजट में भी इसकी स्वीकृति प्रदान की गई।

19. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केन्द्र सरकार ने इस वर्ष राज्य में 4 नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है, जो कि निम्नानुसार हैं:–

- ❑ राष्ट्रीय राजमार्ग–48 दूदू के समीप से नरेणा–सांभर–नारायणपुरा–कुचामनसिटी–बुदसु एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप छोटी खाटू
- ❑ मंदसौर–प्रतापगढ़–धरियाबाद–सलूम्बर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–927 के समीप डूंगरपुर
- ❑ राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप फलौदी से नागौर–तरनाउ, छोटी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–458 के समीप खाटू
- ❑ राष्ट्रीय राजमार्ग–752 के समीप कवई से छबड़ा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–46 के समीप सदा कॉलोनी

पेयजल :

28. हमनें निर्णय लिया है कि पेयजल योजनाओं को स्वीकृत करने का मापदण्ड, चवचनसपेउ की जगह जनकल्याण होगा, इस हेतु लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करना, हमारी प्राथमिकता रही है। हम चाहते तो पूर्व सरकार की तरह अनेक परियोजनायें बिना समुचित वित्तीय प्रबन्धन के स्वीकृत करते रहते। परन्तु हमनें गत् दो वर्षों में पूर्व की 24 स्वीकृत वृहद पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इनमें से 19 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा लगभग 47 लाख जनसंख्या शुद्ध पेयजल से लाभान्वित हो रही है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2016–17 में वृहत परियोजनाओं के लिए 2 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें से 13 लंबित पेयजल योजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध कराते हुए पूर्ण करने की मैं घोषणा करती हूँ। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

– तिवरी–मथानियां–ओंसियां–भोपालगढ़ पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)
– कोलायत लिफ्ट जल प्रदाय योजना, जिला बीकानेर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)
– बीसलपुर–दूदू–फुलेरा पेयजल परियोजना, जिला जयपुर एवं टोंक (वर्ष 2002 की स्वीकृति)
– **चम्बल–भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला भीलवाड़ा**
– क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील चाकसू, जिला जयपुर
– क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील फागी, जिला जयपुर
– क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील निवाई तथा टोंक, जिला टोंक
– **बांसवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा**
– चंबल–बूंदी पेयजल परियोजना, जिला बूंदी
– क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलोदी हेडवर्क्स भौरी–कला–खारा–जालोडा, जिला जोधपुर।
– क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना आरजीएलसी आरडी–42 घाटौर–कानासर–बाप, जिला जोधपुर।
– बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण कलस्टर पार्ट–द्वितीय जिला बाड़मेर
– जवाई–पाली योजना द्वितीय चरण पार्ट–द्वितीय, जिला पाली

ऊर्जा :

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संस्थागत सुधार पर निरंतर ध्यान देने का नतीजा रहा है कि हमारी सरकार के प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 283 मेगावाट की वृद्धि हुयी है, जबकि गत् सरकार के प्रथम दो वर्षों में 2 हजार 293 मेगावाट की

वृद्धि हुयी थी। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। एक हजार 273 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। यही नहीं National Thermal Power Corporation द्वारा 420 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा भडला, जिला जोधपुर में विकसित किये जा रहे सोलर पार्क में लगायी जायेंगी। इस हेतु NTPC द्वारा आमंत्रित निविदाओं में सौर ऊर्जा का जो tariff प्राप्त हुआ है वह पूरे देश में सबसे कम है।

40. राज्य की माँग के अनुरूप प्रसारण एवं वितरण तंत्रा को सुदृढ़ व विकसित करने के लिए गत् दो वर्षों में 765 केवी के दो, 400 केवी का एक, 220 केवी के 17, 132 केवी के 33 ग्रिड सब–स्टेशन तथा 33 केवी के 643 सब–स्टेशन स्थापित किये गये हैं। आगामी वर्ष में 220 केवी के 6 तथा 132 केवी के 16 ग्रिड सब–स्टेशन तथा 33 केवी के 200 नये सब–स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

52. आगामी वित्तीय वर्ष में सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़ में State Institute of Hotel Management तथा धौलपुर एवं बारां में Food and Craft Institutes की स्थापना की जायेगी। साथ ही, उदयपुर के Food and Craft Institute को State Institute of Hotel Management में upgrade किया जायेगा।

वन एवं पर्यावरण :

69. वर्तमान में red, orange and green category के उद्योगों के संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत दी जाने वाली consent की अवधि 3, 5 व 10 वर्ष होती है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 5, 10 व 15 वर्ष किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के green category में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जिनमें वायु एवं जल प्रदूषण होने की संभावना नगण्य है, को मण्डल से जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत consent प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने की मैं घोषणा करती हूँ।

उद्योग :

70. वर्ष 2015–16 के बजट में उद्योगों के लिए land bank बनाने की घोषणा की गयी थी। रीको द्वारा राज्य में 6 हजार 800 हैक्टेयर भूमि का land bank बनाया जा चुका है। आगामी वर्ष में land bank को 10 हजार हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जायेगा। साथ ही नये औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि की सूचना GIS के माध्यम से जन–साधारण को उपलब्ध करवायी जायेगी।

71. तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में उद्यमी, भूमि एवं भवन पर पूंजी निवेश करने के स्थान पर समस्त सुविधायुक्त परिसर में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। राज्य में pollution free industries की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में plug and play सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

72. प्रदेश में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 लागू की गयी है। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु वर्ष 2016–17 में 10 करोड़ 85 लाख रू. का प्रावधान प्रस्तावित है।

73. इलेट्रोनिक्स सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण (ESDM) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रीको द्वारा कारोली औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में 122 एकड़ भूमि क्षेत्र पर green field electronic manufacturing cluster स्थापित किया जायेगा।

74. प्रदेश में textile processing एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बालोतरा, पाली तथा जसोल में common effluent treatment plant के upgradation को मूर्तरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 66 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा।

75. Textile क्षेत्र में लगभग 11 हजार युवकों को integrated skill development scheme के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित युवकों में से 90 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध हो चुका है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा :

167. स्थानीय छात्र–छात्राओं की अपेक्षा के अनुरूप मैं घोषणा करती हूँ कि स्नातक स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय बालोतरा–बाड़मेर एवं राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में भूगोल, राजकीय महिला महाविद्यालय पीपाड़सिटी–जोधपुर, सवाईमाधोपुर और नीमकाथाना में गृह विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर एवं राजकीय महिला महाविद्यालय खण्डेला में भूगर्भ शास्त्र, एम.एल. वी राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा एवं बिलाड़ा–जोधपुर में संस्कृत, कपासन–चित्तौड़गढ़ में वाणिज्य, चूरू में लोक प्रशासन, चिमनपुरा–जयपुर में अर्थशास्त्रा, तथा सीकर में physics विषय प्रारम्भ किये जायेंगे।

बजट 2016–17 के कर प्रस्तावों के महत्वपूर्ण बिन्दु

वाणिज्यिक कर विभाग

सभी करों के लिये पंजीयन एवं विवरणी का एक ही ऑनलाईन प्रपत्र बनाया गया है। व्यवहारी पंजीयन हेतु डिजीटल हस्ताक्षर युक्त

ऑनलाईन आवेदन करने पर, कार्यालय में जाये बिना ही पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें।

अपील तथा अन्य आवेदन प्रपत्र यथा अधित्यजन (Waiver) एवं संशोधन इत्यादि ऑनलाईन।

सभी करों से संबंधित मांग एवं संग्रहण पंजिका (डीसीआर) ऑनलाईन जिससे व्यवहारी को बकाया मांग राशि की सूचना, वाणिज्यिक कर कार्यालय जाये बिना उपलब्ध।

फरवरी, 2016 तक 2 लाख 18 हजार कर निर्धारण ऑनलाईन पारित।

SBI e-Pay Gateway अब ई–ग्रास से लिंक। अब 8 के बजाय 35 बैंकों के माध्यम से कर का भुगतान समभव।

सरलीकरण एवं सुविधाएँ :

व्यवहारियों को डीलर सर्च, भुगतान, पैन, प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र तथा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना मोबाईल पर हर समय व हर जगह उपलब्ध हो सकेगी।

व्यवहारियों एवं जन सामान्य की कर समबन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु विभागीय पोर्टल एवं मोबाईल एप के द्वारा सुझाव एवं समस्या सामधान की ऑनलाईन सुविधा।

प्रवेश कर, विलासिता कर तथा मनोरंजन कर के तहत एक ही प्रपत्र द्वारा ऑनलाईन अपील दायर करने की सुविधा।

प्रवेश कर, विलासिता कर तथा मनोरंजन कर के तहत एकीकृत आवेदन प्रपत्र एवं प्रत्यर्पण ऑनलाईन।

वाद अधीन प्रकरणों की निगरानी हेतु केन्द्रीकृत वाद ट्रेकिंग प्रणाली प्रारम्भ होगी।

व्यवहारियों की सुविधा हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, विद्युत शुल्क एवं विलासिता कर अधिनियमों/नियमों में संशोधन :

व्यवहारियों द्वारा कारबार के मुख्य स्थान के परिवर्तन के लिये विभागीय प्रक्रिया पूरी करने हेतु निर्धारित वर्तमान में 60 दिन की समय सीमा घटाकर 30 दिन की गई।

व्यवहारियों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने/विलम्ब से करने के कारण लगाये गये विलम्ब शुल्क (Late fee) के अधित्यजन (waiver) की शक्तियाँ राज्य सरकार को प्राप्त।

वर्ष के दौरान वैट-11 के स्थान पर वैट-10 के दायी होने पर व्यवहारी को पूर्व के त्रैमासिक के लिये वैट-10 देने की आवश्यकता नहीं।

ऐसे ठेकेदारों जिन्होनें छूट प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है तथा प्रोजेक्ट में बचे हुये माल की बिक्री करते हैं, विवरणी वैट–11 में दे सकेंगें।

व्यवहारियों द्वारा गलती से चालान में कालावधि का गलत अंकन हो जाने अथवा राशि अधिक जमा हो जाने पर ऐसी जमा राशि का शीघ्र समायोजन या प्रत्यर्पण किया जायेगा।

व्यवहारियों के लिए ऑनलाईन प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सरलीकरण।

परिशोधन हेतु आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा 1 वर्ष से घटाकर 6 माह की गई।

व्यवहारियों को वैट इनवोइस पर सामान्य हस्ताक्षर के साथ–साथ डिजीटल हस्ताक्षर की भी सुविधा।

अवार्डर द्वारा फॉर्म वैट–40ई में ऑनलाइन रिटर्न प्रस्तुत करने की स्थिति में, टी.डी.एस. प्रमाण पत्र स्वतः ही ठेकेदार के डीलर प्रोफाइल में जेनरेट हो जायेगा। ठेकेदार को कर निर्धारण अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं।

अवार्डर को वर्ष की समाप्ति से 3 माह में फॉर्म वैट–40ई के रिवीजन की सुविधा।

व्यवहारियों को बिजनेस ऑडिट के लिये ऑडिट का स्थान चयन करने के विकल्प की अनुमति।

वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण सम्पूरित करने के लिये समय अवधि 31.07.2016 तक बढ़ायी गई।

बिल्डर्स और डेवलपर्स को परियोजनावार एक मुश्त कर जमा कराने की सुविधा।

बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा अब पंजीकृत सब कान्ट्रेक्टर का टीडीएस नही काटा जायेगा।

ऑनलाईन जेनरेट किये गये घोषणा पत्रों में किसी त्रुटि के संशोधन हेतु वर्तमान 6 माह में निरस्त करने की अवधि को उपायुक्त प्रशासन द्वारा 6 माह तक और बढ़ाया जा सकेगा।

औद्योगिक ईकाइयों को सुविधा देने की दृष्टि से जनरेटिंग सैट्स को केपीटल गुड्स में शामिल किया गया।

कुछ चुनिन्दा वस्तुओं पर दिनांक 01.08.2016 से e-transit pass की व्यवस्था। यह e-transit pass मोबाईल एप के माध्यम से भी जेनरेट किया जा सकेगा।

नगरीय व जल संरक्षण उपकर में छूट प्रदान करने की राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन।

विलासिता कर की पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण अब विलासिता कर का पंजीयन वैट के अनुरूप ही।

ई–कॉमर्स के माध्यम से राज्य में लाई जा रहीं वैट के तहत कराधेय समस्त वस्तुओं पर प्रवेश कर।

पंजीयन एवं मद्रांक विभाग

ई–गवर्नेंस सम्बन्धी कदम :

कृषकों की सुविधा हेतु कृषि ऋण से सम्बन्धित बन्धक पत्रों के ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था की जायेगी।

बैंकों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों एवं उन पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी की सूचना विभाग को उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों को विभाग के सॉफ्टवेयर से लिंक दिया जायेगा।

सभी पूर्णकालीन उप–पंजीयक कार्यालयों को ई–पंजीयन व्यवस्था से जोड़ा जायेगा तथा 100 और पदेन उप–पंजीयक कार्यालयों में ई–स्टाम्प सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

आम जनता को दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु अग्रिम रूप से समय की बुकिंग करवाने की सुविधा संभागीय मुख्यालयों पर स्थित उप–पंजीयक कार्यालयों में ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जायेगी।

पुराने पंजीकृत दस्तावेजों का कपहपजप्रंजपवद कराने के साथ ही आम जनता को पंजीबद्ध दस्तावेजों को ऑनलाईन सर्च करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

नोटिसों को ई–मेल सहित विभिन्न माध्यमों से तामील कराने के प्रावधान किये गये।

सरलीकरण और सुविधाएँ

प्रथम चरण में जयपुर शहर के उप–पंजीयक कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत हेल्प डेस्क की सुविधा दी जायेगी।

उप–पंजीयक कार्यालय में गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति के स्थान पर आधार से सत्यापन के प्रावधान।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिये पृथक कैडर।

जसोल, निम्बाहेडा, नाथद्वारा, कुचामन सिटी, पाली, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में उप–पंजीयक कार्यालय के नवीन भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

कम्पनियों और बैंकों के अमलगमेशन आदि के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों को सरल किया गया।

ऐसे स्टाम्प वेण्डर जो ई–स्टाम्प भी बेचते हैं उनके लिये स्टाम्प पत्र बेचने की सीमा 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये की गई।

जयपुर जिले की कालवाड उप तहसील तथा जैसलमेर जिले की नोख, सम एवं रामगढ उप तहसीलों को दस्तावेजों के पंजीयन के अधिकार दिये गये।

किसी अन्य निर्धारित श्रेणी में नहीं आने वाले निर्माणों का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करने हेतु महानिरीक्षक, स्टाम्प को अधिकृत किया गया।

फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ भूमि के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रावधानों को व्यवहारिक एवं तर्कसंगत किया गया।

LLP के गठन, अमलगमेशन, डीमर्जर, पुनर्गठन, अवसायन और विघटन पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान किये गये।

Leave and licence के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों को lease deed के समान किया गया।

परिवहन

गैर परिवहन वाहनों पर लिये जाने वाले एकबारीय कर को वाहन मूल्य के स्थान पर ईंजन क्षमता एवं उपभोग पर आधारित करना।

ग्रीन टैक्स वर्गीकरण वाहन के पुराने होने के आधार पर करना।

10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले भार वाहनों पर विशेष पथकर की दरों का मूल्य आधारित किया जाना।

7500 किग्रा सकल भार वाले वाहनों के स्थान पर 12000 किग्रा. तक के सकल यान भार वाले भार वाहनों एवं टैक्सी तथा मैक्सी कारों पर एकमुश्त कर 6 किश्तों में किया जाना।

औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन :

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के तहत 252 इकाईयों में लगभग 8,096 करोड़ रूपयों का निवेश।

RIPS-2014 के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को निम्न अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगें:–

(i) संपरिवर्तन शुल्क की छूट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की गई।

(ii) रोजगार सृजन अनुदान की सीमा सामान्य श्रेणी के कार्मिक के लिये 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार तथा महिला/अजा/अजजा/विशेष योग्य जन श्रेणी के कार्मिकों के लिए 30 हजार से बढ़ाकर 35 हजार।

रोजगार सृजन अनुदान तथा कन्वर्जन चार्जेज का बढ़ाया गया अतिरिक्त लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विशेष योग्यजन उद्यमियों को भी दिया जायेगा।

पिछडे तथा अतिपिछडे जिलों के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्यमों को भी पिछडे तथा अतिपिछड़े क्षेत्रों के लाभ प्रदान किये जायेंगे।

पिछड़े तथा अतिपिछडे क्षेत्रों में लगने वाले उद्यमों को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ दिये जायेगें :

(i) विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत छूट।

(ii) निवेश अनुदान और रोजगार सृजन अनुदान के लाभ के लिये ई.एफ.सी.आई. की सीमा लागू नहीं होगी।

(iii) पिछड़े क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को 0.5 प्रतिशत तथा अतिपिछडे क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को 1 प्रतिशत विशेष ब्याज अनुदान देय होगा जो अन्य क्षेत्रों में दिये जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगा।

कृषि उद्योगों/खाद्य प्रसंस्करण/जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्राों को प्रोत्साहन :

RIPS-2014 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमों को विशिष्ट क्षेत्र (thrust sector) घोषित करने के साथ फूड पार्क में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को अतिरिक्त अनुदान एवं रियायतें दी जायेगी।

RIPS-2014 के तहत कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के अतिरिक्त लाभ आटा, सूजी, मैदा, बेसन के 2 करोड़ रूपये से अधिक निवेश करने वाले तथा माल्ट बनाने वाले उद्यमों को दिया जायेगा। फिशफीड निर्माण करने वाले उद्यमों को ब्याज अनुदान का लाभ दिया जायेगा।

Bio-technology सेक्टर को RIPS-2014 के तहत विशिष्ट सेक्टर में शामिल कर निम्न लाभ दिये जायेंगें।

- ❑ 5 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ रूपये तक के निवेश पर 60 प्रतिशत निवेश अनुदान और 10 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान तथा 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर निवेश अनुदान की सीमा 70 प्रतिशत होगी।
- ❑ कैपिटल गुड्स के आयात पर प्रवेश कर में 100 प्रतिशत छूट।
- ❑ 100 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश तथा 200 व्यक्तियों से अधिक रोजगार सृजन करने पर कस्टमाईज पैकेज का लाभ।

RIPS-2010 तथा RIPS-2014 के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों को जिनका बेचान अथवा हस्तान्तरण हो जाता है। हस्तान्तरण के पश्चात् बचे हुए लाभ नये स्वामी/क्रेता को दिये जायेगे।

कर में राहत – वाणिज्यिक कर विभाग :

राज्य सरकार द्वारा घोषित वस्तुओं पर VAT से मुक्ति दी गई।

कारागार में निर्मित वस्तुओं को वैट से छूट।

सभी प्रकार के यार्न पर वैट की दर 5.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है।

12000 किलोग्राम अथवा इससे अधिक सकल भार वाले परिवहन वाहनों पर वैट दर 15 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गई है।

पान पर वैट की दर 14.5 प्रतिशत के घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

नगरीय उपकर तथा जल संरक्षण उप कर से छूट प्रदान करने की शक्तियां राज्य सरकार हो होगी।

ठेकदारों के लिए TDS की दर 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है।

जापानी जोन और कोरियन जोन में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के लिये अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 0.25 प्रतिशत की रियायती कर दर को दिनांक 31 मार्च, 2017 या जी.एस.टी. लागू होने में से, जो भी पहले हो तक के लिये बढ़ाया।

RIPS-2010 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क से छूट के लाभ सेवा क्षेत्रा को भी दिये जायेगे।

War widows सेवानिवृत सैन्यकर्मी, उनकी विधवाओं तथा रक्षा कार्मिकों आदि को CSD कैंटीन से सामान लेने पर वैट का लाभ।

प्रवेश कर तथा मूल्य परिवर्द्धित कर के लिये एमनेस्टी स्कीम

प्रवेश कर से सम्बन्धित मामलों में व्यवहारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी स्कीम लायी जायेगी।

वैट की एमनेस्टी स्कीम की समयावधि 31 मार्च, 2016 तक बढ़ाई गई।

पंजीयन एवं मुद्राक :

वर्ष 2016–17 में जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत EWS एवं LIG के व्यक्तियों को आवंटित आवास के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः रूपये 50 एवं रूपये 100 की गई।

दिनांक 09.03.2015 के पूर्व निष्पादित बैंक गारंटी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर रूपये 1000 की गई एवं दिनांक 09.03.2015 से पूर्व की अवधि के लिये एवं 09.03.2015 से बैंक गारंटी के नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः अधिकतम रूपये 100 एवं रूपये 1000 की गई।

विकास प्राधिकरणों/UIT/स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा नियमितिकरण कर जारी किये गये पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाई गई।

भू–रूपान्तरण एवं समान प्रकृति के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को तर्कसंगत किया गया।

उद्योगों को राहत देने हेतु कब्जा रहित ऋण अनुबंधों/बन्धक पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये की गई।

मुद्रा योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 10 लाख रूपये तक के ऋणों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई।

वरिष्ठ नागरिकों द्वारा लिए जाने वाले Reverse mortgage ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई।

विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये 10 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई।

राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत 2 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई।

राजस्थान स्टार्ट–अप पॉलिसी में पात्र स्टार्ट–अप को 10 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई।

बहुमंजिला इमारतों में तृतीय एवं उससे ऊपर की मंजिलों पर फ्लैट्स/यूनिट्स के लिए स्टाम्प ड्यूटी की गणना हेतु भूमि के आनुपातिक मूल्यांकन की दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया।

ऋण इकरारनामों, Hypothecation deed, Further Charge एवं बंधक पत्र के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 25 हजार रूपये निर्धारित की गई।

Further Charge के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत की गई।

पार्टनरशिप तथा कम्पनी से LLP में रूपान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी गई।

जिला बाड़मेर के जसौल और पचपदरा क्षेत्रों में दिनांक 11.7.2013 से 02.3.2014 की अवधि में पंजीयन पर रोक होने के कारण पंजीयन से शेष रहे आवासीय पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी मे राहत दी गई।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 एवं 36 के अन्तर्गत दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश की दिनांक तक की अवधि के लिए देय ब्याज की छूट दी जायेगी।

राजस्व एवं उपनिवेशन

नगरीय विकास

स्थानीय निकाय/प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल के लीज होल्डर्स द्वारा पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि चालू वर्ष की लीज राशि सहित जमा कराये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत की राहत एवं पूर्व की बकाया एवं आगे के लिये समस्त वर्षों के लिये एक मुश्त लीज राशि जमा कराने पर बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे–केयर सेंटर की स्थापना हेतु योग्य संस्थाओं को अधिकतम 500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर आवंटित की जायेगी। साथ ही इस प्रकार के डे–केयर सेंटरों की स्थापना हेतु भूमि रूपांतरण एवं भू–उपयोग परिवर्तन पर लिये जाने वाले सभी शुल्क भी माफ किये जायेंगे।

राजस्व वृद्धि के उपाय – वाणिज्यिक कर विभाग

एरिएटेड पेयों पर वैट की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की गई।

अर्द्धसिले वस्त्रों, ग्वारगम तथा गम पाऊडर पर वैट दर 5.5 प्रतिशत की गई।

सभी प्रकार की सिगरेट्स पर वैट की दरों में वर्तमान विशिष्ट वैट दरों से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

बेसिक तथा क्लासिक श्रेणी के हेरीटेज होटलों को छोडकर प्रतिदिन रूपये 10 हजार तथा उससे अधिक किराये वाले होटलों पर विलासिता कर 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत।

सभी प्रकार के यार्न पर प्रवेश कर 2 प्रतिशत की दर से लगाया गया।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

गौ–संरक्षण एवं संवर्धन के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाया गया।

पैतृक सम्पत्ति के विभाजन, पारिवारिक सेटलमेन्ट एवं पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को तर्कसंगत किया गया।

विक्रय इकरारनामा एवं अन्य इकरारनामों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये को समाप्त किया गया।

अभिस्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेशन बॉण्ड, गोदनामा, शपथ पत्र, शेयर सर्टिफिकेट्स, प्रतिलिपि, काउण्टर पार्ट एवं संकर्म संविदा के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को तार्किक बनाया गया।

कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के न्याय निर्णयन हेतु लिये जाने वाले शुल्क की राशि का पुनरीक्षण किया गया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में सहयोग

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सदस्यों के सहयोग के विषय में माननीया जिला कलक्टर के साथ चेम्बर के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसके पश्चात् चेम्बर की सदस्य स्पिनिंग, विविंग एवं अन्य इकाईयों की बैठक कर चर्चा की गई। सदस्यों की ओर से, मेवाड चेम्बर के तत्वावधान में, 51 लाख रुपये के कार्य निष्पादित करने का निश्चिय किया गया। मेसर्स कंचन इण्डिया लिमिटेड 10 लाख के कार्य निष्पादन हाथ में लिये है। शेष 41 लाख रुपये के कार्य निष्पादित के लिए जिला प्रशासन को, सदस्यों से प्राप्त विगत के अनुसार आवेदन किया गया।

कार्य निष्पादन कर्ता	कार्य का विवरण			अनुमानित लागत
नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	शाहपुरा उपखण्ड	लसाडिया पंचायत देवपुरी ग्राम	एनिकट बालाजी की खेलाई नं.1	लगभग 14.00 लाख
	शाहपुरा उपखण्ड	लसाडिया पंचायत देवपुरी ग्राम	एनिकट खारी चौराहा की खेलाई नं. 2	
आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड गुलाबपुरा	ग्राम पंचायत भोजरास, बरांटिया, बडला	भोजरास, लक्ष्मणपुरा, चैनपुरिया, अमरतिया, सुल्तानपुरा	5 कुओं को गहरा करना	लगभग 12.70 लाख
आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड मण्डपम	ग्राम पंचायत पीपली (सुवाणा)	पीपली ग्राम	कुआ को गहरा करना	लगभग 3.00 लाख
आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड कान्याखेडी	ग्राम पंचायत दान्थल (सुवाणा)	बगतो का खेडा	कुआ को गहरा करना	लगभग 2.00 लाख
बी एस एल लिमिटेड	तहसील भीलवाडा	ग्राम पंचायत कान्दा, ग्राम कान्दा	मैसनरी चेकडेम	लगभग 1.00 लाख
		ग्राम पंचायत पीपली, ग्राम कलुन्दिया	मैसनरी चेकडेम	लगभग 1.07 लाख
मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री		पीएचईडी से संबंधित सुवाणा पंचायत समिति के कार्य		लगभग 5.39 लाख
संगम इण्डिया लिमिटेड				लगभग 15.00 लाख
कुल योग				**लगभग 54.16 लाख**

यार्न पर प्रवेश कर वापस लेने हेतु

राज्य बजट में यार्न पर प्रवेश कर लगाने से, सरकार द्वारा पावरलूम उद्योग के विकास के लिए यार्न पर वेट कर की दर 5.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया। क्योंकि पावरलूम उद्योग के उपयोग में आने वाला काफी किस्म का यार्न राज्य में उत्पादित ही नही होता है। मेवाड चेम्बर की ओर से प्रवेश कर को वापस लेने के लिए माननीया मुख्यमंत्री महोदया, उद्योगमंत्री महोदय एवं अन्य अधिकारियों को निम्न प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2016–2017 में यार्न पर वेट कर की दर 5.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करके राजस्थान में टेक्सटाइल एवं विशेषरुप से लघु एवं मध्यम पावरलूम उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके लिए हम राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग एवं मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करते है।

लेकिन इसके साथ राज्य के बाहर से आने वाले यार्न पर अधिसूचना क्रमांक एफ12(11) एफडी/टेक्स/ 2016–209 दिनांक 08.03. 2016 से ''दी राजस्थान टेक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुडस इन्टू लोकल एरिया एक्ट 1999'' के अन्तर्गत ''सभी प्रकार के यार्न (कॉटन एवं सिल्क हैंक यार्न को छोडकर)'' 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया गया है।

इस संबंध में हमारा निवेदन है कि राज्य में पावरलूम उद्योगों द्वारा वस्त्र उत्पादन में कई तरह के यार्न का उपयोग किया जाता है एवं समस्त तरह के यार्न का उत्पादन राजस्थान में नही होने से पावरलूम उद्योग को मजबूरी वश राज्य के बाहर से यार्न खरीदना होता है। भीलवाडा के टेक्सटाइल उद्योग द्वारा 1 लाख टन प्रतिवर्ष से अधिक टेक्ट्राइज्ड यार्न उपयोग में लिया जाता है, 50 से 60 हजार टन पीवी स्पेश्लाइज्ड यार्न जैसे मल्टीफाइबर, मल्टीफैन्सी, एक्रेलिक एवं अन्य वैराइटी के यार्न जिनका राज्य में उत्पादन नगण्य है। साथ ही किशनगढ, ब्यावर आदि में स्थापित द्वारा जिस तरह का सूती धागा उपयोग में आता है, उस तरह का राज्य में उत्पादित ही नही होता है।

राज्य में स्थापित बडी स्पिनिंग इकाईयां एक्सपोर्ट क्वालिटी का सूती धागा ही उत्पादित करती है एवं उनका अधिकांश उत्पादन निर्यातकिया जाता है। किशनगढ एवं ब्यावर में पावरलूम उद्योग द्वारा आमतौर से बेडशीट निर्माण का कपडा बनाया जाता है, जो कि बगरु एवं जयपुर में रंगाई एवं छपाई के बाद निर्यात की जाती है। यहां का पावरलूम उद्योग पहले ही चाइनिज उत्पादित कपडे से कठिन प्रतिस्पद्धा से संकट में है एवं यार्न पर प्रवेश कर से यहां के पावरलूम उद्योग घौर संकट में आकर, यहां तक की बन्द होने की स्थिति में भी आ जाएगा।

राज्य में पावरलूम उद्योगों में भीलवाडा में लगभग 40 हजार एवं किशनगढ, ब्यावर में लगभग 25 हजार श्रमिक प्रत्यक्ष रुप से एवं 1 लाख से अधिक श्रमिक अप्रत्यक्ष रुप से कार्यरत है। पावरलूम उद्योग चाइनिज प्रतिस्पद्धा बहुत ही कम मार्जिन पर कार्यरत है एवं इस उद्योग पर संकट से लाखो श्रमिकों के रोजगार पर भी संकट आ जाएगा।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि पावरलूम उद्योग के विकास की भावना से यार्न पर वेट कर कम करने का जो साहसपूर्ण कदम उठाया गया है, उसे बनाये रखने, राज्य में पावरलूम उद्योग को बढावा देने एवं वर्तमान में स्थापित उद्योगों को कार्यशील रखने के लिए इस बजट में आरोपित यार्न पर प्रवेश कर को वापस लिया जावे। राज्य का पावरलूम उद्योग इसके लिए आपका आभारी रहेगा।

चेम्बर अध्यक्ष की उद्योगमंत्री, विधायक महोदय एवं अधिकारियों से भैंट

यार्न पर प्रवेश कर वापस लेने हेतु चेम्बर अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका ने 22 मार्च 2016 को जयपुर जाकर माननीय विधायक श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी से भैंट कर उन्हें समस्या से अवगत कराया। उन्होंने माननीय विधायक महोदय के साथ माननीय उद्योगमंत्री एवं वित्त सचिव से भैंट की। माननीय उद्योगमंत्री महोदय ने इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए माननीया मुख्यमंत्री से संवाद कर समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया।

यार्न पर Local Area में नहीं लगेगा प्रवेश कर

माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 30 मार्च को विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देते हुए घोषणा की कि ''राजस्थान में कपड़ा उत्पादन के उपयोग में आने वाले यार्न पर हमनें बजट में 2 प्रतिशत प्रवेश शुल्क आरोपित किया था। राज्य के एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में यार्न Job Work पर जाने पर भी प्रवेश कर का दायित्व बनता है। इस समस्या के निराकरण के लिये राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में ही अर्थात एक Local Area से दूसरे Local Area में Job Work पर आने वाले यार्न को प्रवेश कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

रेलवे – अनारक्षित टिकिट के सम्बन्ध में नियमों में बदलाव

रेल मंत्रालय द्वारा अनारक्षित टिकिट के संबंध में 1 मार्च 2016 से प्रभावी, नियम परिवर्तित किए गए है, जिसके तहत अब 199 किमी तक के टिकिट पर केन्सल कराने पर कोई रिफण्ड नही दिया जाएगा एवं साथ ही टिकिट की अवधि 24 घण्टे से घटाकर 3 घण्टे कर दी है। नये प्रावधानों से सामान्य गरीब एवं मध्यमवर्गीय रेल यात्री, जो कि सामान्य दर्जे से यात्रा करते है, उनके साथ अन्याय होगा। मेवाड चेम्बर ने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु को निम्न प्रतिवेदन प्रेषित किया।

देश के आंतरिक भागों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रेल यातायात की सुविधा बहुत कम है। कई मार्गो पर एक या दो पेसेन्जर ट्रेन ही चलती है, जिनमें भी अथाह भीड होती है। भीड के कारण महिलाएं, वृद्धजन अगर ट्रेन में चढने से वंचित रह जाते है तो अब नये नियमों के तहत उनके टिकिट के मूल्य का रिफण्ड भी नही होगा। एक ओर ट्रेन सुविधाओं का अभाव, दूसरी ओर ऐसी परिस्थितियों में रिफण्ड भी नही करना, सामान्य जनता के साथ अन्याय होगा। अतः इस नियम पर पुनः विचार कर वापस लेने का सादर निवेदन है।

साथ ही टिकिट की अवधि 24 घण्टे से घटाकर 3 घण्टा करना का भी कोई औचित्य नही है। कस्बो एवं शहरों से जुडे छोटे–छोटे स्थानों से यात्रिगण बडे केन्द्रों पर नित्यप्रति आवागमन करते है। एक ट्रेन छुट जाने की स्थिति में वे दूसरी पेसेन्जर ट्रेन पकड सकते थे। साथ ही बडे केन्द्रो पर उतर कर शाम को वापसी की टिकिट भी हाथोहाथ खरीद कर निश्चिन्त होकर अपना दैनिक कार्य निपटा सकते है क्योंकि शाम को वापसी में टिकिट लेने के लिए भीड में नही लगना पडेगा। यह आम सामान्य जन के लिए रोजमर्रा होता रहा है। अब इस नियम के परिवर्तन से शाम को या एक ट्रेन छुट जाने की स्थिति में दूसरी ट्रेन पकडने में बाधा आएगी। सामान्य जन के नजरिये से देखकर इस अनावश्यक नियम परिवर्तन को भी रद्द कराने एवं अनारक्षित टिकिट की अवधि 24 घण्टे रखने की कृपा करावे।

भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियाँ प्रारम्भ

तत्कालीन रेलमंत्री माननीय डॉ सीपी जोशी के समय भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढियां या एस्केलेटर लगाने की घौषणा की गई थी। मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने विभिन्न रेलवे सलाहकार समितियों में एवं रेल मंत्रालय के साथ इस विषय को लगातार उठाया। अन्ततः भीलवाडा रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां (एस्केलेटर) लगाये गये। दिनांक 10 मार्च 2016 को लगभग पौने दो करोड़ रुपए की लागत से बनी स्वचालित सीढ़ियां (एस्केलेटर) का लोकार्पण सांसद श्री सुभाष बहेड़िया ने अन्य जनप्रतिनिधियों एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर रेलवे के मंडल प्रबंधक श्री नरेश सालेचा ने कहा कि स्वचालित सीढ़ियों पर करीब दो करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भीलवाड़ा से मुंबई के साथ ही अन्य स्थानों के लिए प्रतिदिन रेल सेवा शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने बताया कि अजमेर मंडल के आठ स्टेशनों पर सोलर लाइटें लगाने का करार हुआ है। यात्रियों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए आरओ प्लांट लगाने के भी प्रयास जारी हैं।

जयपुर–यशवंतपुर–जयपुर साप्ताहिक प्रीमियम – साप्ताहिक सुविधा रेल सेवा प्रारम्भ

वाया अजमेर, भीलवाडा, रतलाम, वडोदरा, पूणे, शोलापुर एवं बैल्लारी मार्ग से चलेगी

रेल प्रशासन द्वारा जयपुर–यशवंतपुर–जयपुर साप्ताहिक प्रीमियम रेलसेवा को साप्ताहिक सुविधा सुपरफास्ट रेलसेवा में परिवर्तित किया गया है। 17 मार्च से 25 अगस्त 2016 तक इसके 48 फेरे की मंजूरी दी गई है। प्रिमियम रेल के रुप में इसके कुल 5 ठहराव थे। चेम्बर के प्रतिनिधियों ने रेलवे सलाहकार समितियों की बैठक में इस रेल सेवा को नियमित करने एवं विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव की मांग की। रेलवे ने इसे साप्ताहिक सुविधा सुपरफास्ट रेलसेवा परिवर्तित कर अब अजमेर–भीलवाडा–चि ौडगढ आदि के कुल 21 ठहराव मंजूर किए है। ट्रेन संख्या 22696 जयपुर–यशवंतपुर (शनिवार) को एवं ट्रेन संख्या 22695 यशवंतपुर–जयपुर (गुरुवार) को संचालित होगी।

उदयपुर–जम्मूतवी–उदयपुर साप्ताहिक (13 ट्रिप) गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन

रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी ग्रीष्म अवकाश पर अतिरिक्त यात्री यातायात के दबाव को देखते हुए 7 अप्रेल 2016 से उदयपुर–जम्मूतवी–उदयपुर साप्ताहिक (13 ट्रिप) गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा वाया भीलवाडा, अजमेर, जयपुर, अलवर एवं हिसार प्रारम्भ करने की घौषणा की है। ट्रेन संख्या 04971–उदयपुर–जम्मुतवी (शुक्रवार) एवं ट्रेन संख्या 04972 जम्मुतवी–उदयपुर (गुरूवार) संचालित होगी।

केन्द्रीय बजट पर सेमीनार

दिनांक 3 मार्च 2016 को केन्द्रीय बजट पर मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं कम्पनी सेकेट्री संस्थान की भीलवाडा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में सेमीनार का आयोजन हुआ। इसमें जयपुर के चार्टेर्ड एकाउन्टेन्ट श्री पी सी परवाल ने प्रत्यक्ष कर पर एवं सर्विसटेक्स विशेषज्ञ श्री यश डढ्ढा ने अप्रत्यक्ष करों पर बजट की विवेचना की।

श्री परवाल ने बताया कि केन्द्रीय बजट में इस वर्ष डिस्पियुट निवारण स्कीम और आय घौषणा स्कीम शुरु की गई है। पेनल्टी प्रोविजन का पुर्ननिर्माण किया गया है, जिसमें आय की कम घौषणा पर पेनेल्टी 50 प्रतिशत होगी, लेकिन आय की गलत घौषणा पर पेनेल्टी 200 प्रतिशत होगी। टेक्स पर सरचार्ज 1 करोड से अधिक की आय पर व्यक्ति, एचयूएफ 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया है। केन्द्रीय बजट में सरकार ने ग्रामीण, कृषि एवं निर्धन वर्ग को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। कृषि विकास सेस के रुप में 0.5 प्रतिशत सेस लगेगा।

उन्होंने कहाकि 5 लाख तक की आय पर सेक्शन 87ए के अर्न्तगत छुट 2 हजार से बढाकर 5 हजार की है। कॉरपोरेट टेक्स 5 करोड तक टर्नऑवर के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 29 प्रतिशत किया है। नये कम्पनियों के लिए कर की दर 25 प्रतिशत रखी गई है, यदि वह कोई ओर छुट या क्लेम या अतिरिक्त डेप्रिशेसन का लाभ नही उठाते है। 10 लाख से अधिक कीमत मोटर व्हीकल व 2 लाख से ज्यादा की बिक्री या सेवाओं के नकद प्राप्ति पर 1 प्रतिशत कर काटना होगा। प्रोफेशनल्स के लिए अनुमानित कराधान शुरु किया गया है जो कि 50 लाख तक की आय पर है। व्यवसाय के लिए यह राशि बढाकर 2 करोड कर दी है। प्रथम बार नया मकान बनाने पर 50 हजार अतिरिक्त छुट मिलेगी। यदि मकान की कीमत 50 लाख से कम है और ऋण की राशि 1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच 35 लाख से अधिक नही है।

कार्यशाला में सर्विसटेक्स विशेषज्ञ श्री यश डढ्ढा ने कहाकि इस बजट में यदि 2 करोड रुपये से अधिक सर्विस टेक्स वसूल करने के बाद 6 माह तक जमा नही कराया गया तो गिरफ्तार करने का प्रावधान किया है, यह सीमा पहले 50 लाख रुपये थी। सेनवेट क्रेडिट को युक्तिसंगत करते हुए 10 हजार रुपये तक के पुंजीगत सामग्री का सेनवेट उसी वर्ष में लिया जा सकेगा। सर्विस टेक्स के देरी से भुगतान पर ब्याज दो भागो में बाटा गया है एक 24 प्रतिशत एवं दूसरा 15 प्रतिशत। उन्होंने सर्विस टेक्स के विभिन्न प्रावधानों, पेनेल्टी, रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला के प्रारम्भ में चेम्बर के मानद महासचिव श्री एसपी नाथानी एवं सीएस श्री वी एस तापडिया ने अतिथियों का मार्ल्यापण कर स्वागत किया एवं संयुक्त सचिव श्री आर के जैन ने धन्यवाद प्रस्ताव किया।

निटरा पावरलूम सेंटर पर वीविंग कम डिजाइनिंग प्रशिक्षण

रीको औद्योगिक क्षैत्र में संचालित निटरा पावरलूम सेंटर एण्ड टेस्टिंग लैब द्वारा 1 अप्रेल 2016 से त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। वीविंग कम डिजाइनिंग के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 बेरोजगार युवकों को वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाले फाइबर्स, धागों एवं विशेष रुप से भीलवाडा में बनने वाले फैब्रिक्स की संरचना की प्रायोगिक जानकारी दी जाती है। उद्योग विभाग राजस्थान की ओर से तीन माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृति के रुप में 2000रु प्रतिमाह देने का प्रावधान है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 10वीं या उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवक/युवतियां, वीविंग इकाईयों में कार्यरत सुपरवाईजर, जॉबर, बीम गेटर आदि को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मेगा पावरलूम क्लस्टर को करणपुरा में जमीन मिली

मेगा पावरलूम क्लस्टर के लिए करणपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन आबंटित कर दी गई। पहले क्लस्टर के लिए सोनियाणा इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देना तय हुआ था लेकिन विवाद के कारण आबंटन निरस्त कर दिया गया। रीको अधिकारियों ने 7 मार्च को जिलास्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि रीको ग्रोथ सेंटर हमीरगढ़ के लिए रेलवे ओवरब्रिज निर्माण पहले रेलवे द्वारा करवाया जना था। राज्य बजट में घोषणा होने से ओवरब्रिज निर्माण अब राज्य सरकार द्वारा करवाया जाएगा। मीटिंग में नए औद्योगिक क्षेत्र (बिजौलिया , ऊंखलिया, समेलिया, फतेहपुरा करणपुरा एवं करेड़ा) की प्रगति और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के तहत अनुदान के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्टांप ड्यूटी एवं कनवर्जेशन चार्ज छूट के आवेदन पत्रों पर दो इकाइयों को अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किए गए। बिजली निगम एक्सईएन राजपाल सिंह ने बताया कि जिले में 109 प्रकरण लंबित हैं।

विश्व जल दिवस पर कार्यशाला

22 मार्च 2016 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं एनजीओ ''पानीवाले'' संस्था के संयुक्त तत्वावधान में विश्व जल दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने भीलवाडा जिले में जल की स्थिति एवं जल संरक्षण जागरुकता का संदेश दिया।

जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता श्री वी के गर्ग ने बताया कि भीलवाडा में पेयजल समस्या के हल के लिए विभाग निरन्तर प्रत्यनशील है एवं इस संबंध में जनता को जागृत होने की आवश्यकता है कि उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करे एवं जल जो कि काफी महंगी लागत से भीलवाडा को दिया जा रहा है के मित्तव्ययी उपयोग को बढावा दे।

इस अवसर पर श्री ओ पी हिंगड ने जल की कमी एवं चम्बल परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए यह आशा व्यक्त की है कि आने वाले दो माह उपरान्त भीलवाडा को चम्बल से पानी उपलब्ध हो सकेगा। भूजल विज्ञानी श्री अशोक भण्डारी ने भूमिगत जल को किस प्रकार संचय किया जा सकता है एवं भूमिगत जल का कम से कम उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि आने वाली पीढी के लिए उपयुक्त जल की मात्रा उपलब्ध हो सके।

पूर्व मुख्य सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग श्री डी डी देराश्री ने बेडच नदी के पानी को गुवारडी बांध तक लाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह कम लागत में गुवारडी बांध को लगभग 1.5 मीटर उपर उठाकर कर केवल मात्र बारिश के 30–35 दिनों में बेडच में बह रह पानी से गुवारडी बांध को भरा जा सकता है एवं इस अतिरिक्त पानी का उपयोग केवल औद्योगिक आपूर्ति हेतु किया जाने से औद्योगिक इकाईयों को पर्याप्त मात्रों में जल उपलब्ध हो सकता है। साथ ही ब्राम्हणी नदी का पानी रुपारेल नदी में होते हुए बेडच एवं बेडच से बनास तथा बनास को कोठारी से जोडकर एक 65 किमी लम्बी फीडर बनाकर वर्षा ऋतु में ब्राम्हणी एवं बेडच नदी में बह रहे अतिरिक्त पानी को आसानी से कच्ची नहर द्वारा उम्मेदसागर बांध शाहपुरा तक पहुँचाया जा सकता है, इससे रास्ते में पडने वाली बस्सी, भीलवाडा, कोटडी एवं शाहपुरा तहसील के क्षेत्र में निरन्तर बहाव से भूजल पुर्नभरण बढेगा व कुओं में पानी व सेजा बनने से क्षेत्र में जल संकट में कमी आएगी। इसी प्रकार मेजा–माण्डल को सरेरी बांध व बनेडा के उदयसागर, उम्मेदसागर व नाहरसागर तक कच्ची नहर के द्वारा जोडा जा सकता है।

अभियनता श्री गम्भीर ने जल के पारिवारिक उपयोग में किस तरह से कम खर्च में उपयोग में लिया जा सकता है के बारे में जानकारी दी। पूर्व पार्षद एवं समाजसेवी श्री केदार जागेटिया ने बताया कि उन्होंने भीलवाडा में लगभग 500 स्थलों पर वर्षा जल पुर्नभरण एवं ट्यूबवेल, कुए रिचार्ज का कार्य करवाया है, उसके अच्छे परिणाम आए है, जहां–जहां रिचार्ज करवाया है वहां 10–15 फीट पर मिठा पानी उपलब्ध है। उन्होंने जल स्वावलम्बन में कराये जा रहे कार्यो को गांवाई कुओ से जोडने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि गांवों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके। कार्यशाला का प्रारम्भ मेवाड चेम्बर के उपाध्यक्ष श्री जेके बागडोदिया, श्री डीडी देराश्री, श्री ओपी हिंगड ने दीप प्रज्जवलन कर की।

TAX RELIEF FOR YARN INDUSTRY IN PUNJAB

Reduction of VAT on cotton and other yarn from 6.05% to 3.63% in the state budget proposed on Tuesday has been welcomed by the cotton spinning industry, which had long been demanding it. Punjab has around 100 spinning mills, of which 10 mills with installed capacity of 1.5 lakh spindles had closed recently due to unfavourable tax regime. The industry hopes to get a level-playing field with the reduction of 2.4% VAT on yarn and compete with the spinning industry in neighbouring states.

The development though has no direct bearing on cotton ginning factories but it will provide some relief as demand for yarn will increase and spinning mills will increase cotton purchases, feel the ginners. In the wake of higher VAT in Punjab, the weaving industry preferred to purchase yarn from spinners from Himachal, UP and Uttrakhand.

"The spinning industry was facing tough times in Punjab due to higher VAT. The spinners from neighbouring states used to sell it at 2% VAT but with reduction in tax rates, the spinning industry will be able to compete," said Bathinda-based Indian Cotton Association Limited (ICAL) former president Rakesh Rathi. Barnala-based Trident Group spokesperson Rupinder Gupta said, "Reduction in VAT will prove a big relief to Punjab-based spinning industry. Trident has spinning unit at Dhaula near Barnala.

"Cotton ginners were demanding various types of tax relaxations. The VAT reduction now though will not directly help them but it will definitely help in arrest the trend of flying off of the industry. The ginning factories in Punjab have reduced to nearly one hundred from 422 in 2003," said Cotton Ginning Factories Association president Bhagwan Bansal. He said that now the state government needed to call a meeting of all stakeholders solve the woes of industry and should make efforts to save it going the way Mandi Gobindgarh's steel industry had gone. (Source: The Times of India, March 16, 2016)

The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS)

(To be published in Part I Section 1 of the Gazette of India)

Government of India

Ministry of Textiles

New Delhi, the 29th February, 2016

RESOLUTION

No.6/5/2015-TUFS: The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016. In accordance to the said Resolution, the Guidelines of ATUFS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down as under:

1. OBJECTIVE:

1.1. In order to promote ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting exports through "Make in India" with "Zero effect and Zero defect" in manufacturing, it has been decided that the Government would provide credit linked Capital Investment Subsidy (CIS) under Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS).

1.2. The scheme would facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, exports along with import substitution in the textile industry. It will also indirectly promote investment in textile machinery (having benchmarked technology) manufacturing.

2. Definitions under the Scheme

2.1 Technology Upgradation would mean induction of state-of-the-art or near-state-of-the-art technology by the textile industry. Technology levels of the machinery will be updated and specified annually by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC). Machinery with technology levels lower than that specified, are not permitted for funding under the ATUF Scheme.

2.2. Capital Investment Subsidy (CIS) would mean the subsidy at the prescribed rate for the segment on investment made in 'Fixed Capital Investment' for purchases of the benchmarked new machinery for each segment under this scheme, which will be determined on the basic cost of the benchmarked machinery after its installation by the entity.

2.3. Garment/Apparel/Made-ups would mean wearable or non-wearable stitched fabrics of which at least two sides of the fabrics are stitched using sewing machinery.

2.4. Technical Textiles would mean textile materials and products used primarily for their technical performance and functional properties rather than their aesthetic or decorative characteristics, where function is the primary criterion. Technical textiles include textiles for automotive applications, Medical Textiles, Geotextiles, Agrotextiles, Protective Clothing, Pack Tech etc.

2.5. ATUFS benefit is available for the benchmarked machinery under the scheme covering the following activities:-

(a) Weaving, Weaving Preparatory and knitting
(b) Processing of fibres, yarns, fabrics, garments and made-ups
(c) Technical textiles
(d) Garment / made-up manufacturing
(e) Handloom Sector
(f) Silk Sector
(g) Jute Sector.

3. ELIGIBILITY CRITERIA FOR GRANT OF CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY

3.1 The Capital Investment Subsidy under ATUFS will be available for investment on eligible benchmarked machinery in the specified segments. Eligible benchmarked machinery will be updated and specified annually as on 1s1 April by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC). The Textile Commissioner shall notify the list of eligible benchmarked machinery after approval of the TAMC. Machinery with technology levels lower than those specified under the scheme will not be eligible for subsidy benefits. Make and Year of manufacture of all the eligible benchmarked machinery should either be clearly indicated on machine or on a name plate attached to the machine.

3.2. Machinery purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents will be considered for benefits under the scheme. However, the benefit would also be available to the garmenting machinery purchased as per para 4.2.6.

4. General Eligibility Conditions:

4.1 TYPE OF UNITS:

4.1.1 Entities/Units registered under the Companies Act, 1956 or under the Companies Act, 2013 or under the Companies (Amendment) Act, 2015 or as per the provisions in the amendments of the said Acts with the Registrar of the Companies, which have an acknowledgement of Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) with the Department of Industrial

Policy and Promotion except MSME units which will be as per the instructions of the Ministry of MSME or units which are registered with the concerned Directorates of the State Government showing clearly the activity for which the unit is registered, will only be eligible to get benefit under this scheme. In case of non-MSME units,

4.1.2 Existing units and new units will be eligible for subsidy within the overall ceiling fixed for an individual entity. However, in case the entity has availed subsidy under RRTUFS, it will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity.

4.1.3 Textile units including Handloom, Silk, Jute units are eligible to get benefits under this scheme.

4.2 TYPE OF ELIGIBLE TEXTILE MACHINERY:

4.2.1 Under the ATUF Scheme, only new benchmarked machinery for the specified segments indicating the names of the manufacturers or their authorized agents shall be finalized and notified every year as on 1st April by the Textile Commissioner on the recommendation of Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) will be permitted. Textile Commissioner will obtain list of eligible benchmarked machinery from Jute Commissioner, DC (Handloom) and Member Secretary, Central Silk Board for Jute, Handloom and Silk sectors respectively. No second hand machinery is permitted under this scheme.

4.2.2. Accessories / attachments / sample machines / spares received along with the machinery upto a value of 20% of the machinery cost eligible under ATUFS will also be eligible.

4.2.3 Machinery eligible for one segment is eligible for other segment(s)/ activity (ies) also unless its eligibility is specifically restricted for a particular segment/ activity.

4.2.4 Eligibility of any other textile machinery not notified by Textile Commissioner for the year as on 1st April may also be included subsequently on the recommendation of TAMC, if considered essential.

4.2.5 The issuance of Unique Identification Numbers (UIDs) will be linked to the list of benchmarked machinery eligible for subsidy under the scheme which will be revised based on the budgetary provision and liabilities, and recommendation of the TAMC every year.

4.2.6. Machinery (imported and indigenous) purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents will be considered for benefit under the scheme. However, the benefit will also be available in case new imported stitching machines required for garmenting/apparel/ made-ups manufacturing are purchased from the authorized stockiest/custom warehouse located within the country, provided the purchase is made by the consignee/ from a person who has purchased the same directly from the machine manufacturers or their authorized agents. Such machinery will also be eligible for benefit under this scheme. Under no circumstances, the machinery which has been used even once and/or even for testing purpose will be allowed under this scheme.

4.2.7 The purchase date means the commercial invoice date both in case of domestic and imported machines.

4.2.8. Machine Identification Code (MIC) allotted by the Textile Commissioner should be mandatorily inscribed on the respective machine(s) on which subsidy under this scheme is claimed.

4.2.9. ELIGIBILITY CRITERIA FOR ASSISTANCE:

(i) Entities as specified in para 4.1.1. above will only be eligible to get benefit under this scheme.

(ii) Registration with the concerned authority indicating product manufactured as textiles item(s) is a prerequisite, which is to be produced at the time of verification of machinery to the Joint Inspection Team (JIT), for availing benefit under the scheme.

4.3. OTHER INVESTMENTS ELIGIBLE:

Investment made other than the specified machinery will not be eligible under this scheme.

4.4. NORMS FOR ELIGIBLE SUBSIDY:

4.4.1 Every eligible individual entity will be paid Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUF scheme, on the eligible investment, as per the rates and the overall subsidy cap indicated below:

Sl. No.	Segment	Rate of Capital Investment Subsidy (CIS)	CIS per individual entity
1.	Garmenting, Technical Textiles	1 5% on eligible Machines	Rs. 30 crore*
2.	Weaving for brand new Shuttle-less Looms (including weaving preparatory and knitting), Processing, Jute, Silk and Handloom.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*
3(a)	Composite unit /Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is more than 50% of the eligible project cost.	15% on eligible Machines	Rs. 30 crore
3(b)	Composite unit/ Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is less than 50% of the eligible project cost.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*

*In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity. The maximum subsidy for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted as indicated above for respective segments.

4.5. SUBSIDY NORMS:

4.5.1 The capital investment subsidy under ATUFS will be released in full in one go on eligible investment, only after satisfactory installation/commissioning and commencement of production.

4.5.2 Benefits under the scheme shall be available only if the eligible benchmarked machinery is purchased by availing term loan from a notified lending agency.

4.5.3 Subsidy will be provided only in case of investment made with institutional finance. Investment made by availing Buyers Credit, Usance Credit and Sellers Credit will not be eligible for availing benefits under the scheme unless the entire amount is paid up by the beneficiary before claiming the subsidy and concrete documentary proof is produced for the same at the time of Joint Inspection Team (JIT) verification within the prescribed timelines defined in the scheme.

4.6. CUT-OFF DATE:

4.6.1. The date of sanction of term loan shall be the date of the letter of the lending agency vide which the sanction of term loan is communicated to the entrepreneur.

4.6.2. In case the term loan is sanctioned by a lending agency and thereafter the lending agency distributes / down-sells the term loan to other lending agency (ies) or has sanctioned term loan under consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as under:

(i) In case of down-selling the term loan, the date of sanction of term loan by the first lending agency, which has sanctioned the term loan initially, shall be relevant date and the same shall be the date of letter of the first lending agency vide which the date of sanction of term loan is communicated to the entity.

(ii) In case of consortium finance, the consortium leader shall assess eligibility of the project under the scheme for itself and also for other members of the consortium including the amount of term loan eligible under the scheme. However, in this case the date of sanction of the term loan shall be the date of letter of the last lending agency in the consortium, vide which the sanction of loan is communicated to the entity.

4.6.3. No multiple finance for a project is allowed under this scheme. The beneficiary will be required to give an undertaking in this regard in the prescribed format as per Annexure-A.

4.6.4. In each of the above cases CIS will be disbursed to the account of the loanee/ applicant of each lending agency on pro-rata basis.

4.6.5. In case where term loan had been sanctioned by the lending agency (ies) under RRTUFS but the period of one year from the date of sanction of the term loan is not yet over and in those cases where the UID applications have not yet been uploaded in Textile Commissioner server using i-TUFS upto 12.01.2016 midnight, such cases will be eligible only for benefits as per the ATUF Scheme notified vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016. The applicants of such eligible cases would be required to upload UID applications into the Textile Commissioner server using i-ATUFS software as per the prescribed format of ATUF Scheme as given in para 6 below. These applications would be considered within six months from the date of issuance of Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016 i.e. upto 12-07-2016 on first-cum-first-served basis and subject to the availability of budgetary provisions.

4.7. COVERAGE OF INVESTMENT PRIOR TO SANCTION OF THE LOAN:

Advance / token payment up to the margin money for machine cost can be paid by the unit prior to the date of sanction of term loan. However, machines purchased on or after date of sanction of the term loan only will be eligible under the scheme subject to fulfillment of other terms and conditions.

4.8. BENEFIT OF OTHER SCHEMES:

Textile units are permitted to avail of benefits of State Governments' Schemes, in addition to the benefit provided under this scheme, unless specifically disallowed.

4.9. MERGER/ TAKE-OVER OF MANAGEMENT OF THE UNIT:

In case of merger of the companies / units or take-over of the unit(s)/ company (ies) by another unit/ company, the new unit/ company will be entitled to get the remaining balance of subsidy, if due, under the scheme subject to the condition that the merger/ take over is either permitted by the Registrar of the Companies or by an order of the Hon'ble High Court and the new unit/ company has taken over all the liabilities and assets of the merged/ taken over company/ unit and the respective bank has also transferred the term loan of the earlier unit/ company in the name of the existing company /unit which has taken over. However, in such cases, the new unit/ company shall submit a request in the prescribed format as per Annexure -B with all the supporting documents to the Textile Commissioner for changing the profile of the merged company/ unit through the i-ATUFS software.

5. FINANCIAL NORMS:

5.1. Under the ATUFS, capital investment subsidy will be provided subject to terms and conditions given below:

5.1.1 Financial norms like security, debt-equity ratio, previous year's profit position, net worth etc. will be as per the prevalent norms of concerned lending agency.

5.1.2. Since the Scheme is credit linked, the entrepreneur will be required to keep the term loan component of machinery at a minimum of 50% of the total project cost, to become eligible under the scheme.

5.1.3. All Public Sector Banks, State Financial Corporations (SFCs), State Industrial Development Corporations (SIDCs), Scheduled Banks and NBFCs registered with RBI are eligible for funding under the scheme.

5.1.4. The lending agencies covered under RRTUFS as per Resolution No. 6/19/2013-TUFS dated 04.10.2013 will be automatically covered under this scheme and new lending agency (ies) shall be required to submit their application in the prescribed format as per Annexure -C to the Textile Commissioner, Mumbai through i-ATUFS software in order to notify the lending agency under ATUFS.

5.1.5. Foreign Currency Loan: Foreign Currency Loan availed of from overseas branch of the Indian Bank/ Foreign bank having Indian branch will be eligible for benefits under this scheme. However, the loan account should be operational from the Indian branch also so as to make it possible to transfer the subsidy amount in Indian Rupee into the loan account of the applicant in the Indian branch.

5.2. Period of Term Loan under the Scheme:

5.2.1 The term loan sanctioned for availing the benefit of the scheme should not be for less than three years including moratorium period for SSI units and not less than 5 years for other categories.

5.2.2 To prevent misutilisation of the subsidy, it is expected that the unit should at least function for the minimum period of term loan specified above.

5.3. In case of consortium finance, the consortium leader shall assess eligibility of the project under the scheme for itself and also for other members of the consortium including the amount of term loan eligible under the scheme.

5.4. Transferring the ATUFS loan from one lending agency to another lending agency:

The outstanding principal amount of the loan account under this scheme from one lending agency can be transferred to another lending agency only once subject to the condition that portfolio (i.e., balance principal amount) remains unchanged.

5.5. Conversion of rupee term loan into foreign currency loan and vice-versa:

Conversion of Rupee Term Loan (RTL) into Foreign Currency Loan (FCL) and vice-versa is permitted.

6. IMPLEMENTATION MECHANISM:

6.1. The scheme would be executed/ implemented by the Textile Commissioner through its Regional/State Offices. A state/ regional level office of the office of Textile Commissioner is being set up in each state which will implement and monitor ATUFS on priority. Implementation of the scheme will be done in a five-step process:

Step 1: Submission of the term loan application by the entity /unit/ applicant along with a copy submitted to the State/Regional office of the Textile Commissioner who will facilitate sanction of the term loan by the Lending Agency.

Step 2: Application for Unique Identification Number (UID) by the entity/ unit/applicant to the Textile Commissioner through the lending agency using i-ATUFS software for pre-authorization of subsidy under the scheme and issuance of UID.

Step 3: Installation of machinery.

Step 4: Submission of the subsidy claim online by the Unit to the Textile Commissioner and forwarding of the claims by Textile Commissioner to the Ministry of Textiles.

Step 5: Release of the eligible subsidy by the Ministry of Textiles to the applicant's account.

6.2. The processes flow of implementation and monitoring mechanism are indicated in the enclosed Annexure D.

6.3. Step-wise processes are detailed as under:

6.3.1 Step 1: Submission of the term loan application by the entity /unit/ applicant and sanction of the term loan by the Lending Agency:

(i) The applicant/ unit seeking assistance under the scheme shall approach the lending agency for sanction of term loan under the scheme. The applicant shall keep the term loan component of machinery at a minimum of 50% of the total project cost, to become eligible under the scheme.

(ii) The applicant/ unit seeking assistance under the scheme shall also simultaneously fill-in details in Format-1 (Part-l) using i-ATUFS software along with details such as PAN number of the company and company registration number etc. and Detailed Project Report (DPR). After submission of said details using i-ATUFS software, an ATUFS reference number will be issued by the Textile Commissioner which will be a system generated number through the i-ATUFS software. In case, an applicant requires guidance on using the i-ATUFS software, the applicant may take the assistance of the Regional/State office of the Textile Commissioner in uploading details through i-ATUFS software in the prescribed format and Regional/ State office of the Textile Commissioner shall facilitate him to upload his application as a part of handholding services to the applicant.

(iii)The lending agency shall communicate the sanction of the term loan to the applicant. The date of sanction of term loan shall be the date of the letter of the lending agency vide which the sanction of term loan is communicated to the entrepreneur. However, in case of down-selling of the term loan by the lending agency and in case of consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as per Paras 4.7.3., 4.7.4 and 4.7.5.

6.3.2 Step 2: Application for Unique Identification Number (UID) by the entity/ unit/ applicant to the Textile Commissioner through the lending agency using i-ATUFS software for pre-authorization of subsidy under the scheme and issuance of UID:

The applicant/ unit shall, immediately after sanction of the term loan by the lending agency(ies), further submit details in Format -1 (Part-ll & III) using i-ATUFS software along with revised DPR, if revised, within six months from the date of sanction of term loan . In case, an entrepreneur requires further guidance on using the i-ATUFS software, the entrepreneur may take the assistance of the Regional/State office of the Textile Commissioner in uploading details through i-ATUFS software in the prescribed Format 1 (Part-ll & lll)_and Regional/State office of the Textile Commissioner, shall facilitate him to upload his application.

6.3.2.1. A system of time-bound processing of applications as well as automatic alert mechanism through i-ATUFS system has been put in place. The system of alerts has been developed on a traffic light system as indicated in Table below:

S.No.	%age range of timeline for completion of the activity	Colour of the submitted application
1.	1%- 75% time	Green
2.	More than 75% - 90%	Yellow
3.	More than 90% - upto 100%	Red

6.3.2.2. In i-ATUFS software pre-authorization system for issuance of TUFS registration number for receipt of the applications and UID numbers thereof will be in operation in the office of the Textile Commissioner, Mumbai. Applications for issuance of UID numbers will be considered on a first- come-first-served basis, as per the sequence in which they are received in the i-ATUFS software on the central server at the Office of the Textile Commissioner, subject to eligibility and availability of funds under the scheme.

6.3.2.3. Preference will be given to those applications wherein it is proposed to install energy saving technology/ machinery. This preference will be given by having a separate queue for issuance of UID number to the applicant with energy saving machinery and those applicants will be issued UID number first- come-first-served basis in this separate queue. Therefore, if after nth applicants, (n+1)th applicant comes with energy saving machinery he will be first in the queue of the UID applications for energy saving machinery and will therefore get a priority over the regular queue.

6.3.2.4. An acknowledgement shall be automatically issued through i-ATUFS by e-mail and by SMS facility to the applicant as soon as sanction of the term loan and other details are uploaded in Format-1 and submitted through i-ATUFS software by the applicant.

6.3.2.5. The concerned lending agency shall verify the details submitted by the beneficiary in the prescribed format (Format-1). If the requisite data is found complete in all respects by the lending agency, it will upload the said data and details in the prescribed format (Format-2) to the office of Textile Commissioner in the i-ATUFS software within 2 months from the date of submission of Format-1 by the applicant. The time limit of two months includes rectification time of Format - 1 by the applicant, if required.

6.3.2.6. A System generated yellow alert through i-ATUFS software will be sent to the lending agency (ies) if application submitted by the applicant has not been scrutinized within forty five (45) days from the date of submission of the application to the lending agency through i-ATUFS software. This will alert the lending agency (ies) to attend the case on an urgent basis. Further, if no action is taken by the concerned lending agency (ies) within another nine (9) days, a system generated red alert will be sent to their Executive Director/ CGM for taking-up the matter with the concerned officer(s) of the lending agency(ies) so that the case is processed immediately. In case, the lending agency (ies) fails to submit application within two months from the date of receipt of the application through i-ATUFS software, it will be considered as breach of the said guidelines.

6.3.2.7. The UID applications which are found complete in all respects will be processed within one (1) month in the Office of the Textile Commissioner for allotment of UID numbers after checking the mandatory details as per the prescribed format (Format-3) and UID shall be issued. The correctness of the information/ documents submitted for obtaining UID number will be the responsibility of the applicant and the lending agency (ies) concerned.

6.3.2.8. If there is any apparent discrepancy, the UID application will be referred back through the i-ATUFS software to the applicant and/or concerned lending agency for rectification and re-submission. The re-submission of the application shall be within a maximum period of one (1) month and shall be considered again on first-come-first-served basis.

6.3.2.9. A System generated yellow alert will be sent to the concerned officers in the Office of Textile Commissioner in case application is not attended within twenty three (23) days of its receipt from the lending agency. In case, no action is taken by the Officer concerned within twenty seven (27) days of its receipt from the lending agency, system generated red alert will be sent to their controlling officer and the controlling officer shall ensure that the application is attended urgently to meet the timeline.

6.3.2.10. Mere submission of an application for issuance of a UID number in the i-ATUFS software will not entitle the unit for issue of UID number and subsidy under the scheme. A unit would become eligible for subsidy under the scheme only after it has been issued an UID number by the Textile Commissioner.

6.3.2.11. An i-ATUFS software is programmed such that no UID can be issued if the subsidy cap of that unit (including preauthorized RRTUFS subsidy) is reached or/and the budget provision is exhausted.

6.3.2.12. In order to ensure data integrity and prevent any possible misuse of the scheme, the data submitted by the beneficiary and certified by the concerned lending agency through web portal of the Textile Commissioner shall be treated as frozen and subsidy payment shall be considered strictly as per the physical assessment of eligible subsidy or as per the frozen data, whichever is less.

6.3.2.13. In case of any apparent mistake in the UID issued or in case of revision in the project during its implementation, one time correction of the UID details will be considered / permitted on case to case basis by the Textile Commissioner within one year from the date of issuance of UID provided that there will be no increase in subsidy.

6.4. Step 3: Installation of machinery:

6.4.1. Only benchmarked eligible benchmarked machinery specified under the scheme will be installed by the unit.

6.4.2. The applicant should ensure that make, month/year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible benchmarked machinery are clearly indicated on the machine (s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.

6.4.3 It is mandated that the machine serial number should be expressly written on the shipping documents i.e. "Commercial Invoice" or "Bill of Lading" or the "Airways Bill" or the same is expressly written in the "Bill of Entry" in case of imported machinery. In case of domestic purchases, the machine serial number should be expressly mentioned in the "Commercial Invoice". This is an essential part of requirement under these guidelines w.e.f. 01.04.2016 and would be essential to assign the MIC number to the applicant. Therefore, absence of this information will make the machinery liable to be ineligible for benefit under this scheme.

6.4.4 Through the MIC issued, the details could be deduced regarding the textile segment, the country code of the manufacturer, the state/province code of the place where machinery will be installed, the machine manufacturer code (as indicated in scheme), an authorized agent code of the machine manufacturer, the commercial invoice number, the bill of entry number and the bill of lading number (in case of imported machinery), the machine serial number etc.

6.4.5 The system generated MIC will be allotted by the Textile Commissioner immediately to the applicant when he / she will submit request for conducting Joint Inspection Team (JIT) verification after installation/ commissioning of the machinery.

6.4.6 The installation / commissioning of the machines covered under the UID shall be done within one (1) year from the date of sanction of term loan. However, the same will be extendable upto two (2) years on a case to case basis with the approval of the Textile Commissioner. The Textile Commissioner will record in writing the reasons for giving such extensions.

6.4.7 System generated first reminder will be sent to the applicant through registered e-mail and SMS in case the applicant does not submit his/ her request for undertaking physical verification of the installed machinery within ten (10) months from the date of sanction of term loan, for expediting the installation / commissioning of the machinery for which UID was obtained.

6.5. Step 4: Submission of the subsidy claim online by the Unit to the Textile Commissioner and approval of the same.

6.5.1. After satisfactory installation/commissioning of the machinery and commencement of commercial production, the applicant shall immediately submit his/ her request for the same in prescribed format (Format-4) to the Textile Commissioner i.e. within one year from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a JIT using i-ATUFS software. This timeline is extendable upto two (2) years on case to case basis with the approval of the Textile Commissioner. The Textile Commissioner will record in writing the reasons for giving such extensions.

6.5.2. In case, the applicant fails to submit application after installation of the machinery within prescribed timelines for undertaking physical verification by a JIT in prescribed format (Format - 4) using i-ATUFS software, the UID issued to the applicant will be automatically cancelled and will not be considered further for subsidy benefit under

this scheme.

6.5.3 In order to ensure that no beneficiary unit avails subsidy beyond the prescribed ceiling, applicant will be required to furnish a declaration on unit's letter head (Format-5) indicating the details of the subsidy availed by the beneficiary unit under RRTUFS. In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he/ she will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity.

6.5.4 The Textile Commissioner will constitute a Joint Inspection Team (JIT) comprising of the officers / representatives of the Textile Commissioner, respective lending agency, a Textile Research Association and an Industry Association to verify the technology level of the machine(s) installed under the scheme and certify the eligibility and eligible subsidy amount as per the guidelines of the scheme in prescribed format (Format-6).

6.5.5 The JIT will verify and certify the installation/commissioning of the machinery and commencement of the commercial production in the prescribed format (Format-6) along with all supporting documents and photographs of the installed machinery, within maximum eighty eight (88) days of the receipt of request for JIT. Further, JIT has to submit the report within two (2) days of conducting the physical verification through the i-ATUFS software and will also forward a copy thereof to the Textile Commissioner.

6.5.6 A system generated yellow alert will be sent to the Officer-lncharge of the concerned Regional/ State Office of the Textile Commissioner, if JIT does not complete its verification and uploads the same in prescribed format (Format-6) using i-ATUFS software within seventy (70) days of receiving request for JIT verification. In case, he/ she fails to act within eighty five (85) days of receiving request for JIT from the applicant, a system generated red alert to the concerned Officer-lncharge including his controlling officer will be sent for taking urgent action on a priority.

6.5.7 The Office of the Textile Commissioner will process the subsidy claim in the prescribed format (Format-7) after receiving the report from the JIT for approval/rejection by Textile Commissioner within one month of the receipt of JIT report.

6.5.8 A system generated yellow alert will be sent to the concerned Director/ JTxC/ATxC, if the JIT report is not processed within twenty three (23) days of its receipt through i-ATUFS software. In case, they fail to act within twenty seven (27) days of receipt of the JIT report, a system generated red alert will be sent to the Textile Commissioner for ensuring urgent action on priority.

6.5.9 The Office of the Textile Commissioner will prepare bill for the approved claims and submit the challan for subsidy claim to Ministry of Textiles (MOT) through i-ATUFS after approval by Textile Commissioner.

6.6. Step 5: Release of the eligible subsidy by the Ministry of Textiles to the applicant's account.

6.6.1 Ministry of Textiles (MOT) will process the claims received through i-TUFS software from the Textile Commissioner as per (Format-8) and will directly release the eligible subsidy to the account of the loanee/ applicant maintained with the same lending agency (ies) within 21 days from the date of receipt of the claim bill/ challan through i-ATUFS software subject to the availability of funds. The account of the unit should be linked to the PAN number of the Unit and Aadhar number (wherever applicable).

6.6.2 Full amount will be released in case the applicant has taken loan from one lending agency only under ATUFS. However, in case the applicant has availed facility of down-selling of term loan or consortium financing, the subsidy amount will be credited into the account of the loanee on pro-rata basis.

6.6.3 A system generated yellow alert will be sent to the concerned Deputy Secretary/Director of the Ministry of Textiles, if the received claim bills/ challans are not processed within seventeen (17) days of its receipt from the office of the Textile Commissioner through i-ATUFS software. In case, the same is not processed within nineteen (19) days of receipt of the claim bills from the office of the Textile Commissioner, a system generated red alert to the Joint Secretary (ATUFS) / the Additional Secretary (ATUFS) will be sent for ensuring that the same are processed within given timeline as defined in para 6 and process flow chart (Annexure-D).

6.6.4 The release of the subsidy into the account of the loanee / applicant in DBT mode would be a deemed utilization of the amount of subsidy and no further utilization certificate would be necessary.

7. MONITORING MECHANISM:

The scheme will be administered with a two stage monitoring mechanism i.e. by Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) and Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC). 7.1 Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC):

A Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) under the Chairpersonship of Textile Commissioner will be constituted with technical experts from the Government and the industry covering the different segments, as members. The composition and functions of TAMC are given at Annexure-E.

7.1.1. Amendment in the list of machinery in terms of addition / deletion will be done by the TAMC.

7.1.2. If any question of interpretation or clarification is raised by the lending agency / entrepreneurs as to the eligibility of any unit or machinery under the scheme, the decision of the TAMC will be final.

7.1.3. The TAMC will also monitor and review the progress of the scheme including segmental progress and apprise the Ministry and IMSC quarterly.

7.2 Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC):

7.2.1 An IMSC will be constituted under the Chairpersonship of Minister of Textiles with the representatives of the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure and Deptt. of Financial Services), Department of Heavy Industry, Deptt. of Commerce, Deptt. of Industrial Policy & Promotion, NITI Aayog, selected lending agencies, Textile Industry Associations etc. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)'s approval. The composition and functions of IMSC are given at Annexure-F.

7.2.2 The IMSC will review the progress of the scheme half yearly and ensure its effective implementation.

8 PROVISIONS FOR CANCELLATION OF UID:

8.1. UID issued under the scheme shall be cancelled in cases where:

8.1.1. The applicant fails to submit intimation of installation of the machinery within two years from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a Joint Inspection Team (JIT). The DID issued to the applicant will be automatically cancelled and will not be considered further for subsidy benefit under this scheme.

8.1.2. The applicant decides not to avail benefits under the scheme for any reason for which he/ she may upload request for cancellation of the issued UID through concerned lending agency using i-ATUFS software. This request should be made in the prescribed format (Format - 9).

8.1.3. In case the application gets rejected at any stage for any other reason, the UID shall be suo-moto cancelled.

9. SAFEGUARDS AGAINST MISUTILIZATION:

9.1. To prevent misutilisation of the subsidy being provided under the scheme, the following safe-guard are put in place:

9.1.1. Assets created by the unit against the allotted UID under this scheme and technology level thereof will be physically verified by a Joint Inspection Team (JIT) comprising of the officers / representatives of the Textile Commissioner, representatives of respective lending agency, Textile Research Association and industry association. The JIT will certify the eligibility and eligible subsidy amount as per the guidelines of the scheme.

9.1.2. It is made mandatory that make, year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible benchmarked machinery are clearly indicated on the machine (s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.

9.1.3. In order to ensure that no beneficiary unit avails subsidy beyond the prescribed ceiling, applicant will be required to furnish a declaration duly signed by the authorized person of the entity on the unit's letter head indicating the details of the subsidy availed by the beneficiary unit under RRTUFS and ATUFS.

9.1.4. The Officers of the Ministry of Textiles will periodically inspect the machinery installed/ commissioned by units, on a random basis.

9.1.5. Third Party Engineering Consultant(s) will be engaged by the Ministry to undertake inspection of the units availing benefits under the scheme on sample basis.

9.1.6. It is expected that the unit should at least function for a minimum period of three years. To monitor the functioning of the unit for three years the lending agency (ies) should keep the minimum re-payment period including moratorium period as three years in case of SSI units and five years for other units.

10. GRIEVANCE REDERESSAL MECHANISM:

10.1. All grievances received in prescribed format (Format-10) related to implementation of this scheme shall be redressed by a Grievance Committee set up under the chairpersonship of the Textile Commissioner with the representatives from the Ministry of Textiles, Lending Agencies and industry associations etc.

10.2. The grievances related to ATUFS policy matter and interpretations on ATUFS shall be required to be submitted in the prescribed format (Format-11) to the Secretary, Ministry of Textiles, Government of India who will redress the same.

11. AMENDMENT OF GUIDELINES:

Any amendment of these guidelines involving financial issues may be done with the prior approval of the Expenditure Finance Committee (EFC). Amendment involving issues other than financial may be made with the approval of IMSC.

(Pushpa Subranrnanyam)
Additional Secretary to the Government of India

अपने सपनों को करें साकार

*STARTING FROM
10.31 Lac
*12 Options

RADHEYGOVINDAM
RESORT PVT. LTD

Sharda Dream City

www.shardainfra.com

भीलवाड़ा का पहला ऑनलाइन किराणा स्टोर

GBiBiG.com

An Online Super Market
A Venture of Sharda Group

WhatsApp
9610238234

Booking
51,000/-

SHARDA GROUP

आपके सपनों का घर

SHARDA EVERGREEN PARK

Head Office :
"Sharda House" Old RTO Road, Gandhi Nagar, Bhilwara (Raj.), Ph. : +91 1482-233821-30
Fax : +91 1482-233811, e-mail : info@shardainfra.com

पोस्टल रजि नं. भीलवाड़ा/254/2015–2017 प्रेषण: प्रत्येक माह की 7 तारीख अधिकृत डाकघर: प्रधान डाकघर, भीलवाड़ा

With Best Compliments

ADITYA BIRLA

UltraTech

Ultratech Cement Limited
(Unit : Aditya Cement Works)
Adityapuram, Chittorgarh - 312 622, Rajasthan, India
Telephone : 01472-221001-10, Fax : 01472-221020

स्वत्वाधिकारी मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री भीलवाड़ा के लिए सम्पादक–प्रकाशक सूर्यप्रकाश नाथानी द्वारा अलका ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, भीलवाड़ा से मुद्रित एवं मेवाड़ चेम्बर भवन नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा से प्रकाशित। सम्पादक–सूर्यप्रकाश नाथानी फोन : 01482–220908 (ऑ.)